

नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, बाराबंकी

प्रपत्र-‘क’

(आवासीय भवनों/भूमियों के लिए)

सम्पत्ति कर स्वः-निर्धारण प्रपत्र

भवन स्वामी /
अध्यासी
का नवीनतम
फोटो

- (क) (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम :
- (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम :
- (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या :
- (चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता :
- (पाँच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता :
- (छः) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता :
- (ख) निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा :
- (एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) :
- (दो) समस्त बालकनी, कारीडर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
- (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
- टिप्पणी :- स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिकों और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।
- (ग) भवन का कारपेट एरिया :-
= ख (एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4 (तीन)
- (घ) (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)
- (दो) भूमि का क्षेत्रफल यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)
- (ङ) (क) भवन अवस्थित है
- (1) 8 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ()
- (2) 4 मीटर से 8 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ()
- (3) 4 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ()
- (ख) भवन के निर्माण की प्रकृति
- (1) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित ()
- (2) अन्य पक्का भवन ()
- (3) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है। ()
- (ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है।
- (1) 8 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ()
- (2) 4 मीटर से 8 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ()
- (3) 4 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ()
- टिप्पणी :- कृपया उर्युक्त (एक), (दो) या (तीन) के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।
- (च) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें।
- टिप्पणी :- यदि भवन एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे “खाली” उल्लिखित किया जायेगा।

- (छ) भवन के निर्माण का वर्ष.....
- (ज) (एक) अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रुपये
प्रति वर्गफुट।
- (दो) अधिशासी अधिकारी द्वारा भूमि के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो रुपये..... प्रति वर्ग फुट।
- (झ) (एक) भवन का वार्षिक मूल्य = 12X अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर X भवन का कारपेट एरिया = 12 X (ज) (एक) 12 X (ग)

या

वार्षिक मूल्य = 12 X अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्वासित न्यूनतम मासिक किराया दर X भवन का आच्छादित क्षेत्रफल X 80%

(दो) भूमि का वार्षिक मूल्य यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = 12 X अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की मासिक दर X भूमि का क्षेत्रफल = 12X (ज) (दो) X (घ) (दो)

वार्षिक मूल्य की गणना हेतु रिक्त स्थान

- (ट) (एक) स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य नियमावली 9(क) में उल्लिखित छूट देने के पश्चात्।
- (दो) किराये पर होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य, नियमावली के नियम 9(ख) में उल्लिखित वृद्धि करने के पश्चात्
- (ठ) (क) भवन का सामान्य कर = (यथा अवधारित वार्षिक मूल्य) X सामान्य कर दर /100
- (ख) भवन का जल कर = (यथा अवधारित वार्षिक मूल्य) X जल कर दर /100
- (ड) भूमि पर सामान्य कर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = वार्षिक मूल्य X सामान्य कर दर /100
- टिप्पणी :- वार्षिक मूल्य रू0 900 तक सामान्य कर/जलकर की दर क्रमशः 10 % होगी तथा वार्षिक मूल्य रू0 900 के ऊपर सामान्य कर/जलकर की दर क्रमशः 15 % होगी
- (ढ) अधिशासी अधिकारी द्वारा जमा करने के लिए निर्धारित नियत दिनांक.....

क्र.	कर	धनराशि	दिनांक	चालान संख्या	बैंक का नाम	नगर पालिका परिषद के कोषागार
1.	गृहकर					
2.	जलकर					

सत्यापन

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक और पूर्ण है।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

भवन स्वामी का नाम

पिता /माता का नाम.....

स्थायी पता :.....

पत्र व्यवहार का पता :

मोबाइल नम्बर :